अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
आवक
दिनांक 2659
सहपत्र 13-8
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 10–6/2015/34–2/ रायपुर, दिनांक 11/8/2015

–: परिपत्र :–

समूह जलप्रदाय योजनाऐं, सामान्यतः सतही स्त्रोत पर आधारित होती है, जिसके लिए आवश्यक मात्रा में जल का आरक्षण जल संसाधन विभाग से प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है। योजना के डी.पी.आर. बनने के पूर्व जल का आरक्षण प्राप्त कर लिया जाना सर्वथा उपयुक्त होता है किन्तु यह देखने में आया है कि योजनाऐं बजट में प्रावधानित होने के पश्चात्, इनके डी.पी.आर., प्रशासकीय स्वीकृति हेतु जब प्रमुख अभियंता कार्यालय से प्राप्त होते है तब की स्थिति में भी जल के आरक्षण की स्थिति अस्पष्ट रहती है। जल के आरक्षण नही होने की स्थिति में वित्त विभाग से प्रशासकीय सहमति प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कतिपय प्रकरणों में वित्त विभाग द्वारा जल आरक्षण प्राप्त होने की सशर्त स्वीकृति के साथ योजना के लिए प्रशासकीय सहमति दी गई है किन्तु अधिकांश प्रकरणों में योजनाऐं वित्त विभाग द्वारा वापस लौटायी गई है।

इस प्रकार जल आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नही होने के कारण योजना की प्रशासकीय स्वीकृति में विलंब होता है। बजट में प्रावधानित योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति 2 वर्ष में प्राप्त कर लिया जाना आवश्यक होता है अन्यथा योजनाऐं बजट से विलोपित हो जाती है। अतः योजनाऐं बजट से बाहर न हो इस हेतु आवश्यक है कि जल के आरक्षण की कार्यवाही योजना को बजट में सम्मिलित करने के साथ ही प्रारंभ कर दिये जावे।

चूंकि समूह जलप्रदाय योजनाओं के हेडवर्क्स के संचालन–संधारण विभाग के द्वारा किया जाना है अतः जल का आरक्षण भी विभाग के द्वारा ही कराया जाना होगा। तद्नुसार निर्देश दिये जाते है कि समूह जलप्रदाय योजनाओं के लिए जल के आरक्षण हेतु प्रारंभिक कार्यवाही कार्यपालन अभियंता करेंगे, जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय जल उपयोगिता समिति से इसका अनुमोदन प्राप्त करेंगे। इसके उपरांत यह अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता के माध्यम से प्रमुख अभियंता को प्राप्त होगा। प्रमुख अभियंता इसे अपने स्पष्ट अनुशंसा सहित शासन एवं प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग को प्रेषित करेंगे। शासन को प्रस्ताव प्राप्त होते ही जल आरक्षण की कार्यवाही हेतु इसे जल संसाधन विभाग मंत्रालय को प्रेषित की जा सकेगी।

अतः इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जावे।

(एन.के. असवाल)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ.क्रमांक एफ 10–6/2015/34–2/3194 रायपुर, दिनांक 11/8/2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, छ.ग.शासन, लो.स्वा.यां.वि. मंत्रालय रायपुर।
2. सचिव, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि कृपया पेयजल हेतु जल आरक्षण के प्रकरणों का जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अपने विभाग के कार्यपालन अभियंताओं को निर्देश देने का कष्ट करेंगे।
3. समस्त संभागायुक्त सभांग, रायपुर/दुर्ग/बस्तर/जगदलपुर/अंबिकापुर/बिलासपुर।
4. समस्त कलेक्टर जिला .... छत्तीसगढ़।
5. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग छ.ग. रायपुर।
6. प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां. विभाग छ.ग. रायपुर ।
7. समस्त मुख्य अभियंता, लो.स्वा.यां. परिक्षेत्र जगदलपुर/रायपुर/बिलासपुर।
8. समस्त अधीक्षण अभियंता, लो.स्वा.यां. मंडल ....।
9. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोक स्वा.यां. खंड ....।

क्र. 5 से 7 की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उपरोक्त निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जावे।

11/8/15

अपर मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

S/AS/GS/ES/MIS/TSC/CCDU/Audit

OS/EE/SE-T/R/CE(M)/E-I

12/8

12/8